<u>हरियाणा विधान सभा</u>

वीरवार, 26 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे प्रात: विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. <u>प्रश्न।</u>

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. <u>शून्य काल।</u>

III. <u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ।</u>

23 फरवरी, 2026 को श्री घनश्याम दास, एम.एल.ए. तथा श्री कपूर सिंह, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ, अर्थात्:-

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे प्रात: सदन में देने की कृपा की है।'।"

IV. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(i)	वित्त मंत्री	2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii)	चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति	2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

V. 2025-2026 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त)।

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **15 - श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण / रोजगार / युवा मामले)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 1-3

मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **16 - <u>सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 4-6

VI. <u>नियम 121 के अधीन प्रस्ताव</u>।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :-

i) लोक लेखा समिति ;

ii) प्राक्कलन समिति ;

iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा

iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2026-2027 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे:-

"कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-2027 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामज़द करें"।

VII. <u>सरकारी संकल्प</u>

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- चूंकि, मानव मलमूत्र की हाथ से सफाई करने के कार्य का प्रतिषेध करने के प्रयोजन से राज्य विधानमण्डल द्वारा एक संकल्प के माध्यम से सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अंगीकृत किया गया था, जिसमें सफाई कर्मचारियों के नियोजन और साथ ही शुष्क शौचालयों के सन्निर्माण या बनाए रखने का प्रतिषेध करने तथा जल-सील शौचालयों के सन्निर्माण और अनुरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के उपबन्ध थे;

और चूंकि, भारत सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 25)" अधिनियमित किया था, जोकि 6 दिसम्बर, 2013 से लागू हुआ था;

और चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया गया था। तथापि, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के लागू होने के बाद, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन इसे निरसित किया जाना है;

और चूंकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि अपने -अपने विधानमण्डलों में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम 46) का निरसन करने का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित करें, जिससे संसद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन अधिनियम को औपचारिक रूप से निरसित कर सके;

और चूंकि, मुख्य मंत्री, हरियाणा ने मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम 46) का निरसन करने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 में दिए गए उपबंधो के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम 46) का निरसन करने का संकल्प पारित करती है।

VIII. नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा ।

श्री राम कुमार कश्यप, एम.एल.ए.,	प्रस्ताव करेंगे- “कि ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना के अंतर्गत रोजगार गारंटी की 100 से 125 दिन की बढ़ोतरी पर चर्चा की जाए।”

चण्डीगढ़:
25 फरवरी, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।